

प्रेस नोट दि0- 02.04.2026 जनपद- प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर, जनपद- प्रतापगढ़

थाना देल्हूपुर पुलिस द्वारा गश्त/चेकिंग के दौरान मुठभेड़ में टप्पेबाजी के अभियोग से संबंधित अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के बायें पैर में लगी गोली(घायल) व 01 अभियुक्त को मौके से किया गया गिरफ्तार-

थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ नहर पुल के पास थाना देल्हूपुर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में अन्तर्जनपदीय अभियुक्त के बायें पैर में गोली लगी/गिरफ्तार किया गया ।

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त विपिन कुमार निषाद के विरुद्ध जनपद प्रतापगढ़, मिर्जापुर, भदोही व प्रयागराज में लूट, हत्या का प्रयास, धोखाधड़ी, गैंगस्टर एक्ट, चोरी, एवं आयुध अधिनियम, विस्फोटक पदार्थ अधि0, एनडीपीएस एक्ट, जैसे गंभीर अपराधों के कुल 36 अभियोग है पंजीकृत-

घायल अन्तर्जनपदीय अभियुक्त विपिन कुमार निषाद को ईलाज हेतु जिला अस्पताल, प्रतापगढ़ भेजा गया है-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट), ₹1730 नकद, 01 एंड्रॉयड मोबाइल व अभियुक्त राजू के पास से 01 कीपैड मोबाइल बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 02.04.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर श्री उ0नि0 अतुल यादव, उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 संदीप तिवारी, उ0नि0 रमेश तिवारी, का0 दिलीप यादव, का0 अतुल दुबे, का0 विनय पटेल, का0 उपेन्द्र कुमार, का0 यनेन्द्र सागर (चालक) के गश्त/चेकिंग के दौरान थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत नरसिंहगढ़ नहर पुल के पास गश्त/चेकिंग के दौरान मु0अ0सं0-29/2026 धारा 318(2) बी एन एस से संबंधित प्रकाश में आये अन्तर्जनपदीय अभियुक्त विपिन कुमार निषाद पुत्र स्व0 मंगला प्रसाद निवासी ग्राम मवैया थाना औद्योगिक जनपद प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। आत्म सुरक्षार्थ पुलिस टीम द्वारा जबाबी फायरिंग में हुई मुठभेड़ में अभियुक्त के बायें पैर में लगी गोली(घायल) व 01 अभियुक्त को मौके से गिरफ्तार किया गया । घायल अभियुक्त को ईलाज हेतु जिला अस्पताल प्रतापगढ़ भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा .315 बोर, 02 अदद खोखा कारतूस .315 बोर, 01 अदद जिंदा कारतूस, 01 अदद पल्सर मोटरसाइकिल (बिना नम्बर प्लेट), ₹1730 नकद, 01 एंड्रॉयड मोबाइल व

अभियुक्त राजू के पास से 01 कीपैड मोबाइल बरामद किया गया। उक्त बरामदगी/गिरफ्तारी के आधार पर थाना स्थानीय पर अग्रिम विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

पूछताछ का विवरण:-

अभियुक्त से पूछताछ करने पर अभियुक्त ने अपना नाम विपिन कुमार निषाद पुत्र स्व० मंगला प्रसाद नि० मवैया थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज उम्र करीब 35 वर्ष बताया एवं बताया कि मैं और राजू निषाद पुत्र राम देव निवासी इटवाकला थाना खीरी जनपद प्रयागराज आज से लगभग 20 दिन पहले देल्हूपुर बाजार में एक व्यक्ति से फुटकर मांगने की बात में फसाकर बीस हजार रुपये लेकर हम भाग गये थे जैसे का बटवारा हम लोगों ने बराबर बराबर कर लिया था इसी कारण से पुलिस वाले हम लोगों को खोज रहे थे हम दोनों खुद को छिप छिपा कर घटना को अंजाम देने की फिराक में प्रयागराज से आए थे कि आप लोगों से सामना हो गया पकड़े जाने की डर से भाग रहा था परन्तु भाग नहीं सका। मैं अपनी सुरक्षा के लिए तमंचा रखता हूँ। पकड़े जाने के डर से बचने के लिए आप लोगों पर फायर करके भागने के फिराक में था।

घायल/ गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्तों का विवरण-

01. विपिन कुमार निषाद पुत्र स्व० मंगला प्रसाद निवासी ग्राम मवैया थाना औद्योगिक जनपद प्रयागराज (घायल) उम्र करीब 35 वर्ष।
02. राजू पुत्र रामदेव निषाद निवासी ग्राम इटवा कला थाना खीरी जनपद प्रयागराज (गिरफ्तार) उम्र करीब 30 वर्ष।

आपराधिक इतिहास-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त विपिन कुमार निषाद पुत्र स्व० मंगला प्रसाद निवासी ग्राम मवैया थाना औद्योगिक जनपद प्रयागराज (घायल) उम्र करीब 35 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

1. मु०अ०सं० 150/24 धारा 392/411/413/414/419/420/467/468/471 भा०दवि थाना सिविल लाइन्स कमि० प्रयागराज
2. मु०अ०सं० 553/24 धारा 304(2)/317(2) बीएनएस थाना हण्डिया कमि० प्रयागराज
3. मु०अ०सं० 225/20 धारा 392/411 भा०दवि थाना मांडा कमि० प्रयागराज
4. मु०अ०सं० 227/20 धारा 392/411 भा०दवि थाना मांडा कमि० प्रयागराज
5. मु०अ०सं० 382/21 धारा 379/411/420/467/468 भा०दवि थाना शंकरगढ़ कमि० प्रयागराज
6. मु०अ०सं० 91/20 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधि० थाना औद्योगिक क्षेत्र यमुनानगर कमि० प्रयागराज
7. मु०अ०सं० 282/22 धारा 392 भा०दवि थाना विंध्याचल जनपद मिर्जापुर
8. मु०अ०सं० 274/21 धारा 392/411 भा०दवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
9. मु०अ०सं० 280/21 धारा 392/411 भा०दवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही

10. मु0अ0सं0 295/21 धारा 379/411/413/419/420/467/468/471 भा0दवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
11. मु0अ0सं0 279/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही
12. मु0अ0सं0 394/21 धारा 2/3 गैंग्स्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही
13. मु0अ0सं0 121/22 धारा 406/411/420 भा0दवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
14. मु0अ0सं0 128/22 धारा 406/411/420 भा0दवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
15. मु0अ0सं0 147/22 धारा 392/411 भा0दवि थाना गोपीगंज जनपद भदोही
16. मु0अ0सं0 152/22 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही
17. मु0अ0सं0 154/22 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही
18. मु0अ0सं0 99/23 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना गोपीगंज जनपद भदोही
19. मु0अ0सं0 04/22 धारा 379/411 भादवि थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही
20. मु0अ0सं0 542/19 धारा 392/401/411 भा0दवि थाना घूरपुर कमि0 प्रयागराज
21. मु0अ0सं0 545/19 धारा 25/3 आर्म्स एक्ट थाना घूरपुर जनपद कमि0 प्रयागराज
22. मु0अ0सं0 298/20 धारा 2/3 (1) गैंग्स्टर एक्ट थाना घूरपुर जनपद कमि0 प्रयागराज
23. मु0अ0सं0 156/17 धारा 379/411 भादवि थाना नैनी कमि0 जनपद प्रयागराज
24. मु0अ0सं0 250/17 धारा 25/3 392/411 भादवि थाना नैनी जनपद कमि0 प्रयागराज
25. मु0अ0सं0 70/24 धारा 392 भादवि थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर
26. मु0अ0सं0 254/17 धारा 41/411 भादवि थाना नैनी जनपद कमि0 प्रयागराज
27. मु0अ0सं0 92/25 धारा 3(1) गैंग्स्टर थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर
28. मु0अ0सं0 92/25 धारा 3(1) गैंग्स्टर एक्ट थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर
29. मु0अ0सं0 97/25 धारा 303(2)/313/317(2)/317(4)/317(5) बीएनएस थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर
30. मु0अ0सं0 98/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिल्ह जनपद मिर्जापुर
31. मु0अ0सं0 265/24 धारा 303(2)/317(2) बीएनएस थाना कोतवाली चुनार जनपद मिर्जापुर
32. मु0अ0सं0 146/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना जिगना जनपद मिर्जापुर
33. मु0अ0सं0 181/24 धारा 304 बीएनएस थाना कोतवाली कटरा जनपद मिर्जापुर
34. मु0अ0सं0 162/24 धारा 304(2) बीएनएस थाना विन्ध्यांचल जनपद मिर्जापुर
35. मु0अ0सं0 196/24 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109(1) बीएनएस थाना विन्ध्यांचल जनपद मिर्जापुर
36. मु0अ0सं0 51/2026 धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट व 109(1) बीएनएस थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम-

प्रभारी उ0नि0 अतुल यादव, उ0नि0 वीरेन्द्र कुमार, उ0नि0 संदीप तिवारी, उ0नि0 रमेश तिवारी, का0 दिलीप यादव, का0 अतुल दुबे, का0 विनय पटेल, का0 उपेन्द्र कुमार, का0 यनेन्द्र सागर (चालक) थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित 07 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मानिकपुर पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 07 अभियुक्तों को घटना में प्रयुक्त 05 अदद लकड़ी के डण्डे, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लोहे का सरिया व 04 अदद मोटरसाइकिल के साथ थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत धरौली मोड़ आरा मशीन के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 30.03.2026 को वादी और वादी का भाई किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गये थे।

जहां पर अभियुक्तों द्वारा वादी और वादी के भाई पर लाठी, डण्डों व धारदार हथियारों से प्रहार किया। जिससे वादी और वादी के भाई को गम्भीर चोटें आईं। जिसके संबंध में थाना मानिकपुर पर मु0अ0सं0 67/26 धारा 190/191 (2)/191 (3)/115(2)/351 (3)/352/109 (1) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनंदन राय व क्षेत्राधिकारी कुण्डा श्री अमरनाथ गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी श्री नरेन्द्र सिंह के नेतृत्व में थाना मानिकपुर के व0उ0नि0 राम नारायण सिंह, उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 प्रवीण कुमार, का0 मगन शर्मा, म0का0 रितेश राणा, का0 दरवेश कुमार, का0 विपिन पाल, का0 राजेश पाल द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 67/26 धारा 190/191 (2)/191 (3)/115(2)/351 (3)/352/109 (1) बीएनएस से संबंधित 07 वांछित अभियुक्तों, 01.मनीष सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज, 02. अभिषेक साहू पुत्र रमेश साहू, 03. रमेश साहू पुत्र स्व० मुन्नीलाल साहू, 04. विकास सरोज पुत्र रामू सरोज, 05. रामू सरोज पुत्र ननका सरोज, 06. रवीन्द्र सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज, 07. शिवकुमार सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज निवासीगण जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना मानिकपुर क्षेत्रान्तर्गत धरौली मोड़ आरा मशीन के पास से घटना में प्रयुक्त 05 अदद लकड़ी के डण्डे, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लोहे का सरिया व 04 अदद मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों से बरामद मोटर साइकिलों को धारा 207 एमवीएक्ट में सीज किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि मैं व मेरे 5306 गैंग के साथियो ने दिनांक 30.03.2026 को शाम को अपने ही गाँव के रहने वाले व्यक्तियों को जान से मारने की नियत से कुल्हाड़ी से मारा था। जिससे वह व्यक्ति गम्भीर रूप से घायल हो गया था। अभियुक्तों की निशानदेही से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी, लोहे का राड, डण्डे को बरामद किए गये।

बरामदगी-

05 अदद लकड़ी के डण्डे, 01 अदद कुल्हाड़ी, 01 अदद लोहे का सरिया व 04 अदद मोटरसाइकिल।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. मनीष सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
02. अभिषेक साहू पुत्र रमेश साहू निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
03. रमेश साहू पुत्र स्व० मुन्नीलाल साहू निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
04. विकास सरोज पुत्र रामू सरोज निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
05. रामू सरोज पुत्र ननका सरोज निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
06. रवीन्द्र सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़
07. शिवकुमार सरोज पुत्र छेदीलाल सरोज निवासी जाखामई थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़

पुलिस टीम का विवरण-

व030नि0 राम नारायण सिंह, उ0नि0 संजय कुमार मय हमराह का0 प्रवीण कुमार, का0 मगन शर्मा, म0का0 रितेश राणा, का0 दरवेश कुमार, का0 विपिन पाल, का0 राजेश पाल थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ जनपद में CTET द्वितीय पाली के दौरान हुई परीक्षा धांधली के मामले में थाना लालगंज पुलिस ने वांछित अभियुक्त रितेश कुमार को क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र नगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 07.02.2026 को वादी प्रधानाचार्य/परीक्षा केन्द्र अधीक्षक पं० नागेश दत्त पब्लिक स्कूल, अझारा, लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ द्वारा थाना लालगंज पर तहरीर दी गई, जिसमें अवगत कराया गया कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा आयोजित केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा (CTET) द्वितीय पाली की परीक्षा उपरोक्त केन्द्र पर आयोजित की जा रही थी। जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अभ्यर्थी उमेश कुमार निर्मल के स्थान पर अन्य व्यक्ति संजय कुमार पुत्र अंगनू लाल, निवासी जनपद कौशाम्बी द्वारा परीक्षा दी जा रही थी। पहचान पत्र में अंकित विवरण एवं परीक्षा दे रहे व्यक्ति में भिन्नता पाई गई। थाना

लालगंज पुलिस द्वारा वादी के सहयोग से दिनांक 08.02.2026 को 01 अभियुक्त संजय कुमार पुत्र अंगनू लाल, निवासी अमरसा, पोस्ट चायल, जनपद कौशाम्बी, उम्र करीब 30 वर्ष गिरफ्तार किया था। इस संबंध में थाना लालगंज पर मु0अ0सं0 37/26 धारा 11 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत 02 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रियाकलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय एवं क्षेत्राधिकारी लालगंज श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी लालगंज श्री आलोक कुमार के नेतृत्व में थाना लालगंज के उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 आलोक यादव द्वारा तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 37/26 धारा 11 उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 से संबंधित 01 अभियुक्त रितेश कुमार पुत्र जगपत राम निवासी खरसेंडवा थाना धाता जनपद फतेहपुर उम्र करीब 30 वर्ष को थाना लालगंज क्षेत्रान्तर्गत राजेन्द्र नगर चौराहा से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. रितेश कुमार पुत्र जगपत राम निवासी खरसेंडवा थाना धाता जनपद फतेहपुर उम्र करीब 30 वर्ष ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 बनवारीलाल पाल मय हमराह का0 नीरज कुमार, का0 आलोक यादव थाना लालगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना देल्हपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना देल्हपुर पुलिस की कार्यवाही: अवैध पिस्टल व कारतूस के साथ 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त गिरफ्तार-

थाना देल्हपुर पुलिस द्वारा 01 अन्तर्जनपदीय अभियुक्त मो0 अनीश के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर व 01 अदद चारपहिया वाहन के साथ किया गया गिरफ्तार-

अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रयागराज, जनपद प्रतापगढ़ में गैर इरादतन हत्या, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट जैसे लगभग 05 अभियोग पंजीकृत है-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री

विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी देल्हूपुर के नेतृत्व में उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह उ0नि0 मुकुन्द जी पाण्डेय, का उपेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर थाना देल्हूपुर क्षेत्रान्तर्गत गदाईपुर खालिसपुर तिराहा के पास से 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर व 01 अदद चारपहिया वाहन के साथ 01 अभियुक्त, मो0 अनीश पुत्र मुकीमुद्दीन निग्रा जद्दोपुर छितपालगढ़ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष को गिरफ्तार किया गया ।

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर की बरामदगी के संबंध थाना देल्हूपुर पर मु0अ0सं0 49/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया तथा अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद चारपहिया वाहन बरामद की गई, जिसको धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया । अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही प्रचलित है।

गिरफ्तार अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-

01. मो0 अनीश पुत्र मुकीमुद्दीन निग्रा जद्दोपुर छितपालगढ़ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

अभियुक्त मो0 अनीश पुत्र मुकीमुद्दीन निग्रा जद्दोपुर छितपालगढ़ थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 47 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 17/2018 धारा 147,148,323,325, 352,427,506 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ ।
02. मु0अ0सं0 211/2025 धारा 109(1), 351(3),352 बीएनएस थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।
03. मु0अ0सं0 183/2018 धारा 506 भादवि थाना शुवकुटी जनपद प्रयागराज ।
04. मु0अ0सं0 249/2013 धारा 304, 323, 325 भादवि थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज ।
05. मु0अ0सं0 49/2026 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

01 अदद अवैध पिस्टल 0.32 बोर व 03 अदद जिन्दा कारतूस 0.32 बोर व 01 अदद चारपहिया वाहन बरामद ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह उ0नि0 मुकुन्द जी पाण्डेय, का उपेन्द्र कुमार, थाना देल्हूपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सन्दीप उर्फ राकेश गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में दिलीपपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग से संबंधित रू0-25,000/- का ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सन्दीप उर्फ राकेश गिरफ्तार, अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाईल एन्ड्रायड रेडमी बरामद-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त को थाना क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान के पास स्थित रेलवे अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया-

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त पर जनपद प्रतापगढ़ के कोतवाली नगर व दिलीपपुर में हत्या, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर अपराध पंजीकृत है-

गोली मारकर युवक की हत्या के मामले में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध थाना दिलीपपुर में अभियोग दर्ज किया गया था-

थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा दिनांक 11.03.2026 को हत्या के मुख्य आरोपी सद्दाम को जेल भेजा जा चुका है।

प्रतापगढ़।

दिनांक 09.03.2026 को वादी निवासी ग्राम अचलपुर कादीपुर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ के भाई को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना वादी के गांव के चाचा को मोबाइल फोन के माध्यम से प्राप्त हुई। सूचना मिलने पर वादी अपने अन्य पड़ोसियों के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां वादी के भाई का शव पड़ा हुआ मिला तथा मौके पर पुलिस पहले से ही मौजूद थी। प्रथम दृष्टया अज्ञात व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित ढंग से हत्या किया जाना प्रतीत होता है। इस संबंध में थाना दिलीपपुर पर मु0अ0सं0 46/26 धारा 103 (1) बीएनएस बनाम अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण/ नेतृत्व में थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, उ0नि0 रमिल कुमार, हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 निर्दोष कुमार, का0 राजेश कुमार यादव, म0का0 किरन चौहान व का0 आनन्द प्रकाश यादव मय हमराह मय चालक का0 विनोद यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मु0अ0सं0 46/26 धारा 103 (1) बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त सन्दीप उर्फ राकेश पुत्र रामआसरे मोदनवाल निवासी जंघई

रोड, मुगराबादशाहपुर थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर को 01 अदद मोबाईल एन्ड्रायड रेडमी के साथ थाना क्षेत्रान्तर्गत रामलीला मैदान के पास स्थित रेलवे अण्डर पास के पास से गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि मैं सद्दाम को 2008 से जानता हूँ क्योंकि जब मैं प्रतापगढ़ में रहता था तब से ही मेरी सद्दाम से अच्छी जान पहचान है। साहब पिछले महीने के होली के समय की बात है सद्दाम ने मुझको फोन किया और उसने मुझसे कहा कि मेरी बहन का प्राइवेट वीडियो गांव के आसिफ नाम के व्यक्ति के मोबाइल में है अगर उसने वह वीडियो कहीं भेज दिया तो मेरे घरघ की बहुत बेइज्जती हो जायेगी तो मैंने अच्छी दोस्ती यारी होने के नाते कहा कि भाई तो इस मामले में मैं तुम्हारीक्या मदद कर सकता हूँ तो सद्दाम मुझसे बोला कि तुम 06 मार्च को मेरे गांव आ जाओ और कैसे भी करके आसिफ का मोबाइल छीन लेना ताकि मैं उस वीडियो को आसिफ के मोबाइल से डिलीट कर सकूँ तो मैंने कहा कि भाई मैं 06 तारीख को तुम्हारे गांव आ जाऊंगा,सद्दाम ने मुझसे कहा था कि तुम जब भी फोन करना तो व्हाट्सएप पर ही करना, डायरेक्ट फोन मत करना। फिर 06 मार्च को सद्दाम का मेरे मोबाइल पर कई बार फोन आया कि तुम आज आ जाओ लेकिन जरूरी काम लग जाने के कारण मैं आ नहीं पाया तो सद्दाम ने मुझसे कहा कि एक दो दिन बाद मैं तुमको फिर से बताऊंगा कि कब आना है उसके बाद सद्दाम ने मुझको 09 मार्च को सुबह के समय फोन किया कि आज सुबह 10 बजे तक हर हालत में आ जाना तो मैं सद्दाम के कहने पर प्रतापगढ़ आ गया था जहां पर मुझको नदीम रियाज और सद्दाम मिले थे। सद्दाम ने मुझसे कहा कि 12 बजे के करीब मैं आसिफ को साथ लेकर जमीन के एग्रीमेन्ट के बकाया पैसा दिलाने के बहाने लेकर चलूंगा तुम भी मेरे पीछे पीछे मेरी अपाचे मोटरसाइकिल लेकर आना और जब मैं कहूँ तब तुम कैसे भी करके उससे मोबाइल छीन लेना साहब सद्दाम ने अपनी सफेद रंग की अपाचे मोटरसाइकिल मुझको दे दी थी और वह आसिफ नाम के व्यक्ति केसाथ उसी की मोटरसाइकिल पर बैठकर जिरियामऊ पुल पार कर जंगल की तरफ जा रहा था मैं सद्दाम से करीब 100 से 200 मीटर दूरी पर उसके पीछे पीछे ही चल रहा था मुझको रास्ता तो याद नहीं है क्योंकि वह सुनसान और जंगल का इलाका था। जंगल में पहुंचकर मुझे दो बार गोली चलने की आवाज सुनायी दी और सद्दाम मेरी तरफ पैदल भागते हुये आया और मोटरसाइकिल मोडकर तेजी से चलने को कहा, मैं सद्दाम को अपाचे मोटरसाइकिल पर बैठाकर चल दिया पुल पर पहुंचते ही सद्दाम ने गाडी रोकवाई और एक मोबाइल जिरियामऊ पुल के नीचे नदी में फेंक दिया और अपनी बहन के घर चलने को कहा हम लोग पुल से सद्दाम की बहन के घर के पीछे पहुंचे जहां सद्दाम ने पीछे ही मोटरसाइकिल खडी करने को कह दिया और उसने एक पिस्टल निकालकर काली पन्नी में रखकर अपनी पहनी हुई शर्ट में छुपाकर ईटों के नीचे दबाकर रख दी थी और मुझे 500 रुपये देकर कहा कि काफी दिन रोजा रहने के कारण मेरी तबीयत खराब हो गयी है मुझे उल्टी आ रही है और तुम बस पकडकर यहां से घर चले जाओ और अपना फोन बंद कर लेना, मैं तुमसे बाद में वाइस काल पर बात करूंगा उसके बाद मैं वहां से पैदल चलकर बस स्टैण्ड से बस पकडकर प्रयागराज आ गया। अगले ही दिन 10 मार्च को मेरे फोन पर नदीम रियाज का व्हाट्सएप पर वाइस काल आया और नदीम रियाज ने मुझसे कहा कि यहां मामला बिगड गया है पुलिस को पता चल गया है कि सद्दाम ने ही आसिफ को गोली मारी है हमको आशंका है कि कहीं हम

लोग भी न पकडे जाये इसलिये तुम कहीं दूर भाग जाओ क्योकि इस मामले में आसिफ की पत्नी मुझको भी फंसा रही है,जिसकी जांच पुलिस कर रही है। जब तक मामला शांत नहीं होता तब तक तुम लौटकर नहीं आना,मामला शांत होने पर मैं खुद ही तुमको फोन करूंगा। दिनांक 15 मार्च 2026 को मैंने नदीम रियाज को फोन करके कहा कि नदीम भाई मेरे पास सारे रूपये खत्म हो गये मैं ज्यादा दिन बाहर नहीं रह पाऊंगा तो नदीम रियाज ने मुझसे कहा कि यहां अभी मामला शांत नहीं हुआ है जब मामला शांत हो जायेगा तो मैं खुद ही तुमको फोन करके बताऊंगा कि कब आना है और कहां कि यहां मत दिखाई दे जाना नहीं तो तुमको पुलिस गोली मार देगी। आज मैं नदीम रियाज से पैसे लेने के लिये पहले से ही तय स्थान पर आया था कि आप लोगो ने मुझको पकड लिया।

गिरफ्तार ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त का विवरण-

01. ईनामिया अन्तर्जनपदीय 01 अभियुक्त सन्दीप उर्फ राकेश पुत्र रामआसरे मोदनवाल निवासी जंघई रोड, मुगराबादशाहपुर थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर।

ईनामिया अन्तर्जनपदीय अभियुक्त सन्दीप उर्फ राकेश पुत्र रामआसरे मोदनवाल निवासी जंघई रोड, मुगराबादशाहपुर थाना मुंगराबादशाहपुर जनपद जौनपुर का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 488/16, धारा 392/504/506/507/294 भादवि, थाना डलमऊ, जनपद रायबरेली।

02. मु0अ0सं0 129/16, धारा 294/392/411/504/506/507 भादवि, थाना अमीनाबाद, जनपद लखनऊ।

03. मु0अ0सं0 46/26 धारा 103 (1)/3(5)/61(2) BNS थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

बरामदगी-

अभियुक्त के कब्जे से 01 अदद मोबाईल एन्ड्रायड रेडमी बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

थाना प्रभारी दिलीपपुर श्री बलराम सिंह मय हमराह मय हमराह उ0नि0 पंकज कुमार वर्मा, उ0नि0 रमिल कुमार,हे0का0 सुभाष विश्वकर्मा, का0 जगदीश प्रसाद, का0 निर्दोष कुमार, का0 राजेश कुमार यादव,म0का0 किरन चौहान व का0 आनन्द प्रकाश यादव मय हमराह मय चालक का0 विनोद यादव थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़

सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस की कार्यवाही, सरकारी कार्य में बाधा डालने के प्रकरण में 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत सुवंसा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया ।

प्रतापगढ़।

दिनांक 01.04.2026 को अभियुक्तों द्वारा विकास खंड कार्यालय, गौरा में एकराय होकर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने कर्मचारियों को गाली-गलौज की, कार्यालय की खिड़कियां, दरवाजे और आलमारियों को तोड़ा, सरकारी कार्य में बाधा डाली और कार्यालय अभिलेखों के साथ छेड़खानी की। इसके अतिरिक्त सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कार्यालय से बाहर निकालते हुए कार्यालय को तालाबंद कर चाभी अपने पास रख ली। जिसके संबंध में थाना फतनपुर पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 332/221/224/352 बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में थाना फतनपुर के उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह का0 रुद्रांश चौबे, का0 ध्रुवेश कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 71/2026 धारा 332/221/224/352 बीएनएस थाना फतनपुर प्रतापगढ़ से संबंधित 03 अभियुक्तों, 01. विनोद कुमार यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी ग्राम परसामऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष, 02. मुहम्मद अली पुत्र स्व नजीर अहमद निवासी ग्राम नईकोट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष, 03. घनश्याम कश्यप पुत्र सुखराज निवासी ग्राम पटहटियाकला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत सुवंसा नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. विनोद कुमार यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी ग्राम परसामऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष ।

02. मुहम्मद अली पुत्र स्व नजीर अहमद निवासी ग्राम नईकोट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष ।

03. घनश्याम कश्यप पुत्र सुखराज निवासी ग्राम पटहटियाकला थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 45 वर्ष ।

आपराधिक इतिहास-

01- अभियुक्त विनोद कुमार यादव पुत्र छोटेलाल यादव निवासी ग्राम परसामऊ थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 40 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 193/21, धारा 147/148/323/504/506 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 71/2026, धारा 332/221/224/352 B.N.S, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02- अभियुक्त मुहम्मद अली पुत्र स्व नजीर अहमद निवासी ग्राम नईकोट थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र 45 वर्ष का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 67/18, धारा 147/148/323/504/506/307 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

02. मु0अ0सं0 68/18, धारा 436 भादवि, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

03. मु0अ0सं0 83/09, धारा 436/504/506 भादवि व 3(1)V SC/ST ACT, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

04. मु0अ0सं0 204/17, धारा 504/506/352 IPC, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

05. मु0अ0सं0 70/18, धारा 507 IPC, थाना: फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

06. मु0अ0सं0 72/08, धारा 452/324/323/504/326 IPC, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

07. मु0अ0सं0 128/21, धारा 147/148/452/323/506/308 IPC, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

08. मु0अ0सं0 71/2026, धारा 332/221/224/352 B.N.S, थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 संतोष कुमार वर्मा मय हमराह का0 रुद्रांश चौबे, का0 ध्रुवेश कुमार थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़

प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा लगातार अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोहंडौर पुलिस द्वारा चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल के साथ 02 अभियुक्तों को उनके कब्जे से 04 जिन्दा देशी बम नाजायज, धोखाधड़ी से संबंधित 05 अदद एंड्रायड मोबाइल व 01 अदद छोटा कीपैड मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र के साथ किया गया गिरफ्तार-

अभियुक्तों को थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत सराय रजईसुल्तानपुर रोड अमाही मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया-

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशांत राज के कुशल पर्वेक्षण/नेतृत्व में थाना कोहंडौर के उ०नि० विवेक कुमार यादव, उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी, हे०कां० राधे कृष्ण, का० विकेश मिश्रा, का० पुष्पेन्द्र यादव, का० मनीष यादव व का० संतोष कुमार यादव व का० हैप्पी बाबू द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों, 01. रत्नेश मिश्रा पुत्र आद्या प्रसाद मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बासूपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता कस्बा कोहंडौर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़, 02. सुनील कुमार सिंह उर्फ श्याम सिंह पुत्र स्व० नागेन्द्र बहादुर सिंह उम्र करीब 52 वर्ष नि०ग्रा० कसियाही, नरहरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ को 04 जिन्दा देशी बम नाजायज, धोखाधड़ी से संबंधित 05 अदद एंड्रायड मोबाइल व 01 अदद छोटा कीपैड मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल के साथ थाना कोहंडौर क्षेत्रान्तर्गत सराय रजईसुल्तानपुर रोड अमाही मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के पास से 04 जिन्दा देशी बम नाजायज, धोखाधड़ी से संबंधित 05 अदद एंड्रायड मोबाइल व 01 अदद छोटा कीपैड मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र की बरामदगी के संबंध में थाना कोहंडौर में मु०अ०सं० 58/2026 धारा 204/317 (2)/317(4)/319 (2)/318 (4) बीएनएस व 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई । जिसके संबंध में थाना पट्टी मे मु०अ०सं० 168/2025 धारा 303(2) बीएनएस में अभियोग पंजीकृत था ।

थाना पट्टी-

वादी उडैयाडीह थाना कोत० पट्टी जनपद प्रतापगढ़ की मोटर साइकिल स्पेलेण्डर प्लस जिसका नं० UP72N7067 है । जिसके लेकर दि० 25/05/025 को शादी समारोह ग्राम सभा रानीपुर गया था । वादी जब खाना खाकर घर वापस जाने के लिए रात लगभग 10 बजे गाडी खोजने लगा तो गाडी गायब थी । इस संबंध में थाना पट्टी मे मु०अ०सं० 168/2025 धारा 303(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों से पूछताछ करने पर बताया गया कि यह बम हमलोग चोरी व ठगी करने में आने वाली कठिनाइयों से बचने व लोगों को डराने के लिए रखते हैं ताकि यदि कभी लोगों के द्वारा पकड़े जाएं तो इसका प्रयोग कर अपने आप को बचा सकें ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. रत्नेश मिश्रा पुत्र आद्या प्रसाद मिश्रा उम्र करीब 40 वर्ष निवासी ग्राम बासूपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ हाल पता कस्बा कोहंडौर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

02. सुनील कुमार सिंह उर्फ श्याम सिंह पुत्र स्व० नागेन्द्र बहादुर सिंह उम्र करीब 52 वर्ष नि०ग्रा० कसियाही, नरहरपुर थाना कोहंडौर जनपद प्रतापगढ़ ।

बरामदगी-

04 जिन्दा देशी बम नाजायज, धोखाधड़ी के 05 अदद एंड्रायड मोबाइल व 01 अदद छोटा कीपैड मोबाइल, फर्जी पुलिस परिचय पत्र व 01 अदद चोरी की मोटरसाइकिल बरामद ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ०नि० विवेक कुमार यादव, उ०नि० विजय कुमार त्रिवेदी, का० विकेश मिश्रा, का० पुष्पेन्द्र यादव हे०कां० राधे कृष्ण, का० मनीष यादव व का० संतोष कुमार यादव व का० हैप्पी बाबू थाना कोहंडौर, जनपद प्रतापगढ़

थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना बाघराय पुलिस द्वारा “हत्या के प्रयास” के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

थाना बाघराय पुलिस द्वारा अभियुक्त को कमासिन चौराहे पर बनी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 06.06.2026 को वादी अपने घर के दरवाजे पर बैठा था । तभी अभियुक्तों द्वारा पुरानी रंजिश के चलते वादी के सिर पर लाठी व डंडे द्वारा प्रहार किया गया । जिससे वादी को गम्भीर चोटें आईं और वादी बेहोश होकर गिर पड़ा । जिसके संबंध में थाना बाघराय पर मु०अ०सं० 130/25 धारा 109(1)/352/351 (3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी बाघराय श्री श्रवण कुमार के नेतृत्व में थाना बाघराय के उ०नि० राहुल मय हमराह उ०नि० देवी दयाल वर्मा द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु०अ०सं० 130/25 धारा

109(1)/352/351 (3) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त सनोज पुत्र पृथ्वीपाल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सिंगारपुर चकवड़ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को थाना क्षेत्रान्तर्गत कमासिन चौराहे पर बनी नहर पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सनोज पुत्र पृथ्वीपाल उम्र 46 वर्ष निवासी ग्राम सिंगारपुर चकवड़ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 राहुल मय हमराह उ0नि0 देवी दयाल वर्मा थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा दुष्कर्म व पॉक्सों एक्ट के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सत्यम पटेल को किया गया गिरफ्तार-

थाना जेठवारा पुलिस द्वारा अभियुक्त को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री पंकज कुमार राय के नेतृत्व में उ0नि0 अरुण कुमार मौर्या मय हमराह हे0का0 लक्ष्मण यादव व का0 योगेन्द्र यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वांछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 64 (2) M/115(2)/352 बीएनएस व 5L/6 पाक्सो एक्ट व 3(2)V/3 (1) W SC/ST ACT थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 अभियुक्त सत्यम पटेल पुत्र जवाहिर पटेल निवासी ग्राम बलापुर थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सत्यम पटेल पुत्र जवाहिर पटेल निवासी ग्राम बलापुर थाना जेठवारा जिला प्रतापगढ़ उम्र करीब 23 वर्ष थाना जेठवारा प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अरुण कुमार मौर्या मय हमराह हे0का0 लक्ष्मण यादव व का0 योगेन्द्र यादव थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास से संबंधित 01 अभियुक्ता को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा हत्या का प्रयास के अभियोग से संबंधित 01 अभियुक्ता को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ट्रेजरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया

प्रतापगढ़।

दिनांक 18.9.2025 को वादी सूबेदार सुत रामपाल निवासी ग्राम धनीपुर खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ के पुत्र को आरोपीगणों द्वारा कुल्हाड़ी व डण्डे से मारा पीटा गया। जिस कारण वादी के पुत्र को गम्भीर चोटें आईं। जिसके संबंध में थाना कोतवाली देहात पर मु0अ0सं0 0248/25 धारा 115(2),118 (1),109 (1),351 (2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत किया गया।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/ नगर/ क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली देहात श्री पुष्पराज के नेतृत्व में थाना कोतवाली देहात के उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह का0 धनन्जय का0 रित्नेश म0का0 रेनू यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित, वारण्टी अभियुक्त व संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर मु0अ0सं0 0248/25 धारा 115(2),118 (1),109 (1),351 (2) बीएनएस से संबंधित 01 वांछित अभियुक्ता आशा देवी पत्नी लालजी निवासी धनीपुर खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली देहात क्षेत्रान्तर्गत ट्रेजरी चौराहे के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ता का नाम-

01. अभियुक्ता आशा देवी पत्नी लालजी निवासी धनीपुर खजोहरी थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अनूप कुमार यादव मय हमराह का0 धनन्जय का0 रित्नेश म0का0 रेनू यादव थाना कोतवाली देहात जनपद प्रतापगढ़।